2014 का विधेयक संख्यांक 182

[दि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिंदी अनुवाद]

संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2014

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 का संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध का इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रति निर्देश है ।

धारा 2 का संशोधन ।

2007 का 51

2. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,--

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(घक) "जारीकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधिक सत्ता पहचानकर्ता या ऐसी अन्य विशिष्ट पहचान (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो), जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, जारी करता है ;

(घख) "विधिक सत्ता पहचानकर्ता" से ऐसा विशिष्ट पहचान कोड अभिप्रेत है जो जारीकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की ऐसे व्युत्पन्नों या वित्तीय संव्यवहारों में, जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं पहचान करने के प्रयोजन के लिए समनुदिष्ट किया गया हो ;';

(ii) खंड (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(द) "व्यापार संग्रहकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे व्युत्पन्नों या वित्तीय संव्यवहारों से, जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, संबंधित इलैक्ट्रानिक अभिलेख या डाटा के संग्रहण, समाकलन, भंडारण, अनुरक्षण, प्रसंस्करण या प्रसारण के कारबार में लगा हुआ है ।' ।

धारा 23 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 23 में,--

(i) उपधारा (1) में, "संदाय प्रणाली को" शब्दों के पश्चात् "धारा 7 के अधीन या ऐसी सुस्पष्ट या नेटिंग प्रक्रिया के अधीन जो इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा अनुमोदित की जाए" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) जहां किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा--

(क) किसी प्रणाली भागीदार को दिवालिया घोषित किया जाता है या उसका विघटन या परिसमापन किया जाता है ; या

(ख) किसी समापक या रिसीवर या समनुदेशिती को (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अनंतिम रूप से या अन्यथा, किसी प्रणाली भागीदार के दिवालिएपन या विघटन या परिसमापन से संबंधित किसी कार्यवाही में नियुक्त किया जाता है,

वहां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा आदेश ऐसे किसी निपटान को, जो ऐसे आदेश के पूर्व या ठीक उसके पश्चात् अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय हो गया है तथा प्रणाली भागीदारों द्वारा ऐसे प्रणाली प्रदाता से संबंधित नियमों, विनियमों या उपविधियों के अनुसार उसके निपटान या अन्य बाध्यताओं के मद्दे अभिदाय किए गए सांपार्श्विक अभिदायों का विनियोग करने के प्रणाली प्रदाता के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।";

1949 का 10
1956 का 1
2013 का 18

(iii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(5) जहां उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई आदेश किसी केन्द्रीय प्रतिपक्ष के संबंध में किया जाता है वहां ऐसे आदेश या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय प्रतिपक्ष और प्रणाली

1949 का 10
1956 का 1
2013 का 18

भागीदारों के बीच संदाय बाध्यताओं और निपटान अनुदेशों को तथा उनका, जो किसी भावी तारीख को निपटान के लिए ग्रहण किए गए संव्यवहार से उद्भूत हुए हैं, अवधारण, प्राधिकार जारी करते समय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित, यथास्थिति, सुस्पष्ट या नेटिंग अवधारण प्रक्रिया के अनुसार या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन तुरन्त किया जाएगा और ऐसा अवधारण अन्तिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगा ।

1949 का 10
1956 का 1
2013 का 18

(6) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय प्रतिपक्ष का समापक या रिसीवर या समनुदेशिती (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) चाहे वह अनंतिम रूप से नियुक्त किया गया हो या अन्यथा नियुक्त किया गया है,--

(क) ऐसे किसी अवधारण को, जो अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय हो गया है, पुनः नहीं खोलेगा ;

(ख) केन्द्रीय प्रतिपक्ष के नियमों, विनियमों या उपविधियों के अनुसार प्रणाली भागीदारों द्वारा उनके निपटान या अन्य बाध्यताओं के मद्दे उपलब्ध कराए गए सापार्श्विक अभिदायों का विनियोग करने के पश्चात्, धारित आधिक्य सांपार्श्विक अभिदाय संबंधित प्रणाली भागीदारों को वापस कर देगा ।";

(iv) विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण 2**--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "केन्द्रीय प्रतिपक्ष" पद से ऐसा प्रणाली प्रदाता अभिप्रेत है जो निपटान के लिए ग्रहण किए गए संव्यवहारों में, प्रणाली भागीदारों के बीच उनके संव्यवहारों के निपटान को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए दायित्व नवीयन के रूप में तद्द्वारा प्रत्येक विक्रेता के प्रति क्रेता बनकर और प्रत्येक क्रेता के प्रति विक्रेता बनकर अन्तःक्षेप करता है ।' ।

नई धारा 23क का अन्तःस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

ग्राहकों से संगृहीत निधियों की संरक्षा ।

'23क. (1) रिजर्व बैंक, लोक हित में या अभिहित संदाय प्रणालियों के ग्राहकों के हित में या ऐसी अभिहित संदाय प्रणाली के कार्यों को, ऐसी रीति में, जिससे उसके ग्राहकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, करने से निवारित करने के लिए ऐसी संदाय प्रणाली के प्रणाली प्रदाता से अभिहित संदाय प्रणाली के प्रणाली प्रदाता द्वारा अपने ग्राहकों से संगृहीत और बकाया बची रकमों की ऐसी प्रतिशतता के बराबर राशि, जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए,--

(क) किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में धारित किसी पृथक् खाते या खातों में जमा कराने और जमा रखे रखने की ;

(ख) परिनिर्धारित आस्तियों को ऐसी रीति और प्ररूप में, जो वह समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, बनाए रखने की,

अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु रिजर्व बैंक अभिहित संदाय प्रणालियों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिशतता तथा रीति और प्ररूप विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट खाते या खातों में धारित अतिशेष का ग्राहकों द्वारा भुगतान सेवा का प्रयोग किए जाने के कारण उद्भूत दायित्वों के उन्मोचन के अथवा ग्राहकों का प्रतिसंदाय करने के प्रयोजन से या ऐसे अन्य प्रयोजन से, जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-

समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(3) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन भुगतान प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों का उस खाते में धारित अतिशेष पर प्रथम और सर्वोपरि अधिकार होगा और अभिहित संदाय प्रणाली के प्रणाली प्रदाता या संबंधित वाणिज्यिक बैंक का समापक या रिसीवर या समनुदेशिती (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) चाहे वह अन्तिम रूप से नियुक्त किया गया हो या अन्यथा रूप में नियुक्त किया गया है । उक्त अतिशेषों का किसी अन्य प्रयोजनों के लिए तब तक उपयोग नहीं करेगा जब तक कि ऐसे सभी व्यक्तियों का पूर्ण रूप से संदाय नहीं कर दिया जाता या उसके लिए पर्याप्त उपबंध नहीं कर दिया जाता है । 1949 का 10 1956 का 1 2013 का 18

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "अभिहित संदाय प्रणाली" पद से ऐसी संदाय प्रणाली या संदाय प्रणाली का ऐसा कोई वर्ग जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिप्रेत है जो कि भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए अपने ग्राहकों से निधियों का संग्रहण करने में लगा हुआ है ;

(ख) "अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 में यथापरिभाषित तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कोई बैंककारी कंपनी, "तत्स्थानी नया बैंक", "भारतीय स्टेट बैंक" और "समनुषंगी बैंक" अभिप्रेत है ।'। 1949 का 10 1934 का 2

नई धारा 34क का अन्तःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

अधिनियम का अभिहित व्यापार संग्रहकर्ता और जारीकर्ता को लागू होना ।

'34क. (1) इस अधिनियम के उपबंध किसी अभिहित व्यापार संग्रहकर्ता या जारीकर्ता को, या उसके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, संपूर्ण अधिनियम में लागू सीमा तक संदाय प्रणालियों को या उनके संबंध में इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होते हैं कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "संदाय प्रणाली" या "प्रणाली प्रदाता" के प्रति निर्देश का अर्थ, यथास्थिति, "अभिहित व्यापार संग्रहकर्ता" या "जारीकर्ता" के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ;

(ख) "इस अधिनियम के प्रारंभ" के प्रति निर्देश का अर्थ—

(i) किसी अभिहित व्यापार संग्रहकर्ता के संदर्भ में, उस तारीख के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा जिसको किसी व्यापार संग्रहकर्ता को रिजर्व बैंक द्वारा अभिहित व्यापार संग्रहकर्ता के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है ; और

(ii) किसी जारीकर्ता के संदर्भ में, संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

(2) रिजर्व बैंक, किसी अभिहित व्यापार संग्रहकर्ता के आवेदन पर या अन्यथा, अभिहित व्यापार संग्रहकर्ता को ऐसी अन्य सेवाएं, जो समय-समय पर आवश्यक समझी जाएं, उपलब्ध कराने की अनुज्ञा दे सकेगा या निदेश दे सकेगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अभिहित व्यापार संग्रहकर्ता" पद से ऐसा कोई व्यापार संग्रहकर्ता या व्यापार संग्रहकर्ताओं का कोई वर्ग अभिप्रेत है जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।'।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (उक्त अधिनियम) भारत में भुगतान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक को उस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी के रूप में अभिहित करने और उससे संबंधित विषयों को लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. उक्त अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात्, देश में संदाय प्रणालियों में क्रमबद्ध वृद्धि देखने में आई है और इन भुगतान प्रणालियों को सुरक्षा, क्षमता, तर्कसंगतता, दक्षता और पहुंच के सिद्धान्तों पर प्राधिकार दिया गया है । वर्ष 2007-08 में वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात् मुख्यतया समूह 20 (जी 20) द्वारा व्यौहार-पटलित व्युत्पन्नी बाजारों के सुधार के लिए अनेक विकास कार्य किए गए । जो कुछ नए कदम उठाए गए हैं उनमें व्यापार निधान और विधिक सत्ता पहचान प्रणाली की स्थापना करना भी है ।

3. व्यापार निधान एक नई किस्म की वित्तीय बाजार अवसंरचना के रूप में विकसित हुए हैं और महत्वपूर्ण रूप से, विशिष्टतया, व्यौहार-पटलित व्युत्पन्नी बाजार के रूप में उभर कर आए हैं । तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित किसी भी विधि में भारत में व्यापार निधानों को विनियमित करने और उनका पर्यवेक्षण करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है । अतः व्यापार निधानों का अन्तरराष्ट्रीय संनियमों के साथ अनुपालन विनियामक द्वारा समुचित विधिक शक्तियों के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है । जी-20 की बाध्यताओं और वैश्विक गतिविधियों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (क्लियारिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड) को व्यापार निधान के रूप में अभिहित किया है ।

4. वर्ष 2007-08 में वैश्विक वित्तीय संकट तथा बैंकों और विनियामक अभिकरणों द्वारा जटिल कारबार उपक्रमों की पहचान करने में तथा जारीकर्ताओं और प्रतिभूतियों के बीच दक्षतापूर्ण संबंध स्थापित करने में उसकी पारिणामिक कठिनाइयों को महसूस करते हुए एक पक्षकार या समूह को व्यौहार-पटलित व्युत्पन्नियों के क्रियाकलाप को समुचित रूप से सौंपने के लिए एक मानक कोड की जरूरत महसूस की गई है । वित्तीय डाटा प्रणालियों में आवश्यक सुधार के मुख्य घटक के रूप में वैश्विक पहचानकर्ता के महत्व को स्वीकार करते हुए, जी-20 ने वैश्विक विधिक सत्ता पहचानकर्ता प्रणाली के विकास और उसे बनाए रखने का अनुमोदन किया है । विधिक सत्ता पहचानकर्ता बीस अक्षर का एक विशिष्ट पहचान कोड उन सत्ताओं (इकाईयों) को दिया गया है जो वित्तीय संव्यवहार के पक्षकार हैं और यह पूरे विश्व में अद्वितीय होगा । इस समय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित किसी भी विधि के अधीन विधिक सत्ता पहचानकर्ता जारीकर्ता का विनियमन करने तथा उसकी अन्वेक्षा करने के लिए कोई विधिक उपबंध नहीं है । भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वैश्विक रूप से उपयुक्त विधिक सत्ता पहचानकर्ता जारी करने के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का स्थानीय प्रचालन एकक के रूप में कार्य करने के लिए चयन किया है । विधिक सत्ता पहचानकर्ता संख्यांक का क्रमिक रीति में प्रयोग व्यौहार-पटलित संव्यवहारों तथा उधार लेने वाले के अज्ञापक बनाए जाने की संभावना है ।

5. उन बाजारों के देखते हुए जिनके साथ भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा संव्यवहार किया जा रहा है, भागीदारी बैंक उक्त निगम के प्रति केन्द्रीय प्रतिपक्ष के रूप में उसकी भूमिका को देखते हुए, पर्याप्त रूप से अपनी स्थिति प्रकट करते हैं । अतः, उक्त निगम के प्रति बैंकों की इन स्थितियों को "नेटिंग" के लिए एक सुदृढ़ और प्रवर्तनीय विधिक आधार प्रदान करना आवश्यक है जिससे कि उनकी स्थितियों को पर्याप्त रूप से कम किया जा सके । उक्त अधिनियम में, यद्यपि प्रणाली भागीदारों के दिवालिया या उनका विघटन होने की दशा में नेटिंग संरक्षण और निपटान अंतिमता का उपबंध किया गया है, अभिव्यक्त रूप से ऐसी किसी स्थिति को अनुध्यात नहीं किया गया है जिसमें कि केन्द्रीय प्रतिपक्ष के ही दिवालिया या उसका

विघटन होने के कारण नेटिंग की अपेक्षा की जा सकती है । प्रणाली प्रदाता के दिवालिया या उसका विघटन होने की दशा में नेटिंग की प्रवर्तनीयता संबंधी प्रस्तावित संशोधन में किसी केन्द्रीय प्रतिपक्ष के दिवालियापन, विघटन या परिसमापन की दशा में केन्द्रीय प्रतिपक्ष और प्रणाली भागीदारों के बीच संदाय बाध्यताओं और निपटान अनुदेशों के अवधारण की अंतिमता का उपबंध होगा ।

6. इसके अतिरिक्त, पूर्व संदत्त उपकरणों, प्रचालकों के दिवालिया या शोधन अक्षम होने की दशा में निलंब खातों में धारित ग्राहकों के हित को सुनिश्चित करने में कुछ कठिनाइयां हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है ।

7. उक्त अधिनियम में संशोधनों का प्रस्ताव भारतीय वित्तीय बाजारों की वैश्विक रूप से स्वीकृत सन्नियमों के अनुरूप पारदर्शिता और स्थायित्व बढ़ाने के लिए किया गया है । संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2014 में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का प्रस्ताव किया गया है :--

(क) उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) का प्रतिस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा किसी प्रणाली भागीदार को दिवालिया घोषित किया जाता है या उसका विघटन या परिसमापन किया जाता है, वहां ऐसे आदेश से ऐसे किसी निपटान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो ऐसे आदेश के पूर्व या उसके ठीक पश्चात् अंतिम और अप्रतिसंहरणीय हो गया है ;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 23 में एक नई उपधारा (5) का अन्तःस्थापन, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश किसी केन्द्रीय प्रतिपक्ष के संबंध में किया जाता है वहां केन्द्रीय प्रतिपक्ष और प्रणाली भागीदारों के बीच संदाय बाध्यताओं और निपटान अनुदेशों का अवधारण केन्द्रीय प्रतिपक्ष द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित, यथास्थिति, सुस्पष्ट और नेटिंग प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ;

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (6) का अन्तःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके प्रतिपक्ष का परिसमापक या रिसीवर ऐसे किसी अवधारणा को पुनः नहीं खोलेगा जो अंतिम और अप्रतिसंहरणीय हो गया है और प्रणाली भागीदारों द्वारा अपनी निपटान बाध्यताओं के प्रति उपलब्ध कराए गए सांपार्श्विकों का विनियोजन करने के पश्चात् अधिक सांपार्श्विक प्रणाली भागीदारों को वापस करेगा ;

(घ) "संदाय प्रणाली प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों से संगृहीत निधियों की संरक्षा" की संरक्षा से संबंधित एक नई धारा 23क का अन्तःस्थापन ;

(ङ) एक नई धारा 34क का अन्तःस्थापन, जिससे कि उक्त अधिनियम अभिहित कारबार निधानों और जारीकर्ताओं को लागू किया जा सके ।

8. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
1 दिसम्बर, 2014

अरुण जेटली

उपाबंध

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 51) से उद्धरण

* * * * * * *

23. (1) प्रणाली भागीदारों के बीच संदाय बाध्यताएं और निपटान अनुदेश, संदाय प्रणाली को प्राधिकार जारी करते समय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित, यथास्थिति, सकल और शुद्ध अवधारण प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किए जाएंगे । निपटान और शुद्ध अवधारण ।

* * * * * * *

(4) जहां किसी प्रणाली भागीदार को सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है या उसका विघटन किया जाता है या समापन हो जाता है, तब कंपनी अधिनियम, 1956 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन या विघटन या समापन का आदेश, ऐसे किसी निपटान पर जो अंतिम और अप्रतिसंहरणीय हो गया है और नियमों, विनियमों या उपविधियों के अनुसार प्रणाली भागीदार द्वारा अभिदाय किए गए किसी सांपार्श्विक अभिदाय के निपटारे मद्दे विनियोग करने के प्रणाली प्रदाता के अधिकार को या ऐसे प्रणाली प्रदाता की अन्य बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा ।

1956 का 1
1949 का 10

स्पष्टीकरण--शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा में निर्दिष्ट निपटान, चाहे सकल हो या शुद्ध वहां तक अंतिम और अप्रतिसंहरणीय हैं, जहां तक ऐसे निपटान के परिणामस्वरूप संदेय धन, प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा या व्युत्पन्नी या अन्य संव्यवहार अवधारित कर दिए जाते हैं, चाहे ऐसा धन प्रतिभूति या विदेशी मुद्रा या व्युत्पन्नी या अन्य संव्यवहार का संदाय वास्तव में किया गया हो या नहीं ।

* * * * * * *

GMGIPMRND—3335LS(CRC)—05.12.2014